

बूंदी में ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद 7 दिन में भर दिये जाएंगे

- ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री

जयपुर, 16 मार्च। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री रमेश चन्द मीणा ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि बूंदी जिले में ग्रामीण विकास अधिकारी के रिक्त पद 7 दिन में भर दिए जाएंगे।

श्री मीणा ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि ग्राम विकास अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर कनिष्ठ लिपिक को लिंक अधिकारी लगाने के आदेश में संशोधन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बूंदी जिले में ग्राम विकास अधिकारी के पद रिक्त है और जब तक भर्तियां नहीं हो जाती, तब तक ग्रामीण विकास अधिकारी की जगह कनिष्ठ लिपिक को लिंक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

उन्होंने बताया कि संविदा पर सेवानिवृत्त ग्राम सेवक लगाने के लिए 65 वर्ष तक की आयु होना, फिजीकल फिट होना जैसी कुछ सीमाएं हैं लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है। उन्होंने बताया कि अगर कोई सेवानिवृत्त ग्राम सेवक संविदा पर लगाने हेतु आवेदन करता है तो उसे संविदा पर लगा दिया जाएगा।

इससे पहले श्री मीणा ने प्रश्नकाल में विधायक श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि बूंदी जिले की ग्राम पंचायतों में 84 ग्राम विकास अधिकारी के पद रिक्त चल रहे हैं। जिनमें से नवीन ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर ग्राम विकास अधिकारियों को कार्यव्यवस्थार्थ अतिरिक्त चार्ज देकर कार्य संपादित करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभागीय पत्र क्रमांक 496 8 मार्च 2022 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक ग्राम पंचायत में एक दूसरे के लिंक ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे, जिससे एक कार्मिक की अनुपस्थिति में दूसरा कार्मिक उसका भी कार्य संपादित कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने ग्राम पंचायतों में दिनांकवार रिक्त चल रहे ग्राम विकास अधिकारी के पदों का विवरण सदन के पटल पर रखा।

श्री मीणा ने बताया कि विभागीय पत्र क्रमांक 430 दिनांक 11 फरवरी 2021 द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों के 3 हजार 896 रिक्त पदों की भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भिजवाई गई थी। जिसके क्रम में बोर्ड द्वारा 27-28 दिसम्बर, 2021 को प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इसके पश्चात उक्त भर्ती में सक्षम स्वीकृति उपरांत 1500 अतिरिक्त पदों को उक्त पदों में सम्मिलित करते हुए कुल 5396 पदों पर भर्ती हेतु संशोधित अर्थना विभागीय पत्र क्रमांक 367 दिनांक 21 फरवरी 2022 द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों के समेकित पारिश्रमिक के आधार पर सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों की भी सेवायें ली जाने हेतु विभागीय पत्र 2 फरवरी 2021 द्वारा समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है जिसकी प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी।

__&&&__